वार्षिक लेखा

2016-17

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2016–2017

1. सामान्य

संगत वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 विद्युत अधिनियम, 2013 लागू सीईआरसी विनियमों के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। कुछ विनिर्धारित कंपनियों के लिए 01 अप्रैल 2016 से भारतीय लेखाकरण मानक अनिवार्य कर दिया गया है। टीएचडीसीआईएल के वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक के अनुपालन में तैयार किए गए है।

2. अनुमान एवं पूर्वानुमान

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे पूंजीकरण के मानक को पूर्ण करते हैं और इन्हें इस राशि में शामिल किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों को 'स्टोर्स एवं स्पेयर्स'के रूप में रखा जाता है।

3.4 यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है। तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत, जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर का कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भूभाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 सुविधाओं के सृजन पर व्यय की गयी पूंजी, जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है लेकिन परियोजना के निर्माण हेतु जिसका सृजन अनिवार्य है इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में शामिल किया जाता है। तदन्तर व्यवस्थित रूप से आबंटित किया जाता है।

4.3 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउन–शिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। उक्त परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

4.4 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.5 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.6 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.7 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, सामान्य नागरिक सुविधाओं के उन्नयन एवं अनुरक्षण पर व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य ऊपरी लागत, यदि परियोजना लागत में लगी हो, ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों की लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनापेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से हाने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

6.2 विदेशी मुद्रा में लेन–देन प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती हैं। अमौद्रिक मदों को लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट(हटाया) किया जाता है।

6.3 मौद्रिक मदों के निपटारे अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ–हानि विवरण में आय अथवा व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है तथा इसे प्रचालनीय विद्युत केंद्रों तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत कार्य की राशि में जोड़ दिया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन–देन मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आगतों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर 1: समरूप परिसंपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजार की बाजार कीमत (असमायोजित) लगाना.

स्तर 2: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर आगत, उचित कीमत मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है, दृष्टव्य है।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर आगत, उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है, दृष्टव्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति की उन परिस्थितियों में पहचान की जाती है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया

जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 **प्रारंभिक पहचान और मापः** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां, प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लेन–देन लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की लेन–देन लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां लेन–देन कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेन–देन कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **तदन्तर मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **अमान्य–पहचान (डी–रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब उक्त वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. माल–सूची

9.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

9.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

10. वित्तीय देनदारियां

10.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

10.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार,

व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

10.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

10.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती है। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित लेन–देन लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (लेन–देन लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

10.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

10.4 उत्तरवर्ती माप

10.4.1 प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर रखाव लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

10.4.2 रखाव लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

10.5 **अमान्य पहचानः** किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

11. सरकारी अनुदान

11.1 केंद्र/प्रादेशिक/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान में उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी स्टेज–1 हेतु प्राप्त अंशदान भी शामिल है। इसे प्रारंभिक रूप से पूंजी आरक्षण माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय मानी जाती है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला जाता है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

12.1 कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा परिलक्षित दायित्व प्रस्तुत करने पर प्रावधानों की पहचान होती है आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाहय प्रवाह के दायित्व का निर्धारण अपेक्षित है तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। ये प्रावधान तुलन–पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के निर्धारण हेतु सुनिश्चित किए जाते हैं।

12.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

12.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

13. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

13.1 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा तथा संग्रहण के उद्देश्य से अनंतिम दर स्वीकार की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

13.2 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) के अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन, जो महत्वपूर्ण नहीं हों, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

13.3 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितग्राहियों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/ अनुमोदित/ सहमत नहीं है, प्रोत्साहन/ गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

13.4 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 23 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 35 वर्ष माना गया।

13.5 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

13.6 विविध देनदारों से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य अधिभार को इनकी वसूली/स्वीकृति की अनिश्चतता के कारण प्रोदभूत देय नहीं माना गया और तदनुसार रसीद के आधार पर गणना की गयी।

13.7 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

13.8 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

13.9 बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से संपत्ति तथा उपस्करों अथवा अन्य मदों के असामान्य, गुम अथवा हानि पहुंचने पर क्षतिपूर्ति और देय अन्य दावों को उनकी वसूली की निश्चितता पर लाभ–हानि में शामिल किया जाता है। मदों के गुम या असामान्य होने पर बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु संगत दावे तथा तदन्तर परिसंपत्ति/माल सूची संबंधी कोई खरीद एकल आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें अलग से लेखे में लिया जाता है।

14. व्यय

14.1 मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में प्रभारित की जाती है।

14.2 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

14.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय से संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

14.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

14.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

14.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

14.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

15. कर्मचारियों के हितलाभ

15.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

15.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

15.3 वास्तविक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

16. ऋण लागत

16.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

16.2 सामान्यतया उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे–जुड़ी न हों, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में मान्य किया जाता है।

17. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

17.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

17.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं की है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

17.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लेपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लेपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

17.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रू. 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

17.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100%

मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

17.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

17.7 लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

17.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

17.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

18. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

18.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति को चिन्हित किया जाता है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

19. आय कर

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। लाभ और हानि विवरण से आयकर की पहचान होती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

19.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरण में उल्लिखित लाभ से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें जो आय अथवा व्यय अन्य वर्ष में कर योग्य अथवा घटाने योग्य है, शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मदें कभी कर योग्य अथवा घटाने योग्य (स्थायी अंतर) नहीं, वे भी शामिल नहीं है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

19.2 आस्थगित कर

19.2.1 तुलन पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं है जो किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें लेन–देन न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

19.2.2 प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा

परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

19.2.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करती है।

20. नकदी प्रवाह विवरण

20.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्याधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

21. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण – कंपनी तुलन पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

21.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- जब सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

22. दर विनियमित गतिविधियां

22.1 दर विनियमित गतिविधियों से जो विनियामक आस्थगित लेखे शेष रहते हैं भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 114 उनके लेखे को निर्दिष्ट करता है। ये मानक केवल पहली बार उन ग्राहयताओं को सुलभ हैं जो अपने पिछले जीएएपी के अंतर्गत विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को मान्य करते हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) पहली बार के पात्र ग्राहयताओं को उनके पिछले जीएएपी दर विनियामक नीतियों को सीमित परिवर्तन के साथ जारी रखने तथा वित्तीय स्थिति विवरण तथा लाभ या हानि विवरण में अलग से अपेक्षित प्रस्तुतीकरण तथा विनियामक आस्थगित लेखा शेष तथा व्यापक

आय की अनुमति देता है। इसका पालन किया गया।

23. लाभांश वितरण

कंपनी के अंशधारकों को लाभांश वितरण के लिए जिस अवधि के लिए लाभांश अनुमोदित किया गया है उसे कंपनी के वित्तीय विवरण में उसी अवधि के लिए देनदारी के रूप में माना गया है।

24. सेगमेंट रिपोर्टिंग

विद्युत उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –108– 'प्रचालन सेगमेंट'के अनुसार प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं हैं।

31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां							
गैर–चालू परिसंपत्तियां							
(क) परिसंपत्ति प्लांट एवं पुर्जे	1		7,80,642		7,52,398		7,97,518
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2		3,03,496		2,39,066		1,67,420
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	1		45		62		79
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2		33		33		33
(ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	3	4,694		4,702		4,741	
(ii) अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4	1,881	6,575	2,177	6,879	2,119	6,860
(च) अस्थिगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5		70,941		62,655		45,795
(छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	6		91,914		61,822		32,354
चालू परिसंपत्तियां							
(क) माल सूची	7		3,264		3,190		3,168
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) प्राप्य व्यापार	8	1,73,228		2,07,198		2,38,719	
(ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	9	6,707		7,558		4,098	
(iii) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक बकाया	10	25,037		37		37	
(iv) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	11	4,305		4,421		4,136	
(v) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	12	179	2,09,456	204	2,19,418	166	2,47,176
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13		8,107		4,039		2,446
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14		6,322		5,573		4,828
जोड़			**14,80,795**		**13,55,135**		**13,07,677**
इक्विटी एवं देयताएं							
इक्विटी							
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	3,59,888		3,55,888		3,52,888	
ख) अन्य इक्विटी		5,33,651	8,93,539	5,05,517	8,61,405	4,47,793	8,00,681
गैर चालू देनदारियां							
क) वित्तीय देनदारियां							
(i) दीर्घकालिक ऋण	16	4,04,185		3,49,792		3,27,566	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	17	934		498		168	

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार	
(iii) अन्य गैर चालू वित्तीय देनदारियां	18	220	4,05,339	164	3,50,454	97	3,27,831
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	19		21,271		21,271		21,271
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	20		38,970		32,733		32,246
चालू देनदारियां							
(क) वित्तीय देनदारियां							
(i) अल्पकालिक ऋण	21	38,724		3,677		43,634	
(ii) व्यापार देयताएं	22	41		49		72	
(iii) अन्य चालू देनदारियां	23	68,815	1,07,580	61,376	65,102	58,385	1,02,091
ख) अन्य चालू देनदारियां	24		3,749		3,587		3,360
ग) अल्पकालिक प्रावधान	25		10,347		20,583		18,085
घ) चालू कर देनदारियां (निवल)	26		0		0		2,112
जोड़			**14,80,795**		**13,55,135**		**13,07,677**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31/03/2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	27		2,09,474		2,46,649
अन्य आय	28		14,123		1,481
कुल राजस्व			2,23,597		2,48,130
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	29		25,425		22,857
वित्त लागत	30		29,106		32,887
मूल्यह्रास और परिशोधन	1		52,557		49,663
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	31		19,513		18,003
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	32		445		9
कुल व्यय			**1,27,046**		**1,23,419**
पूर्वावधि मदों, असाधारण मदों और टैक्स से पूर्व लाभ			**96,551**		**1,24,711**
असाधारण मदें–(आय)/व्यय– निवल			16,146		34,830
कर पूर्व लाभ			**80,405**		**89,881**
कर व्यय	**33**				
चालू कर					
आयकर		17,154		24,252	
संपत्ति कर		0	17,154	0	24,252
आस्थगित कर–परिसंपत्ति		(8,142)	(8,142)	(16,269)	(16,269)
I लगातार परिचालन से अवधि के लिए लाभ			**71,393**		**81,898**
II अन्य वृहत् आय					
(i)मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएगी					
ओसीआई के जरिए बीमांकित लाभ/(हानि)	34		(414)		(301)
मदों से संबंधित आय कर जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–आस्थगित कर परिसंपत्ति			144		104

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31/03/2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य वृहत् आय			(270)		(197)
कुल वृहत् आय (I+II)			71,123		81,701
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (लगातार प्रचालनों के लिए)					
बेसिक (रू.)		198.85		230.52	
डायल्यूटिड (रू.)			198.85		230.52

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्य सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31/03/2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ, पूर्वावधि समायोजनः एवं असाधारण मदें		**96551**		**1,24,711**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास (पूर्वावधि मूल्यह्रास सहित)	52,574		50721	
प्रावधान	445		9	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में	–		–	
ऋणों पर ब्याज	29106		32887	
अन्य वृहत आय (ओसीआई)	(414)		(301)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	117		(1,065)	
असाधारण मदें	(16146)	65,682	(34,830)	47,421
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,62,233**		**1,72,132**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–				
माल सूची	(76)		(26)	
प्राप्य व्यापार	33970		31,521	
अन्य परिसंपत्तियां	(428)		(821)	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(4387)		(1,845)	
व्यापार देय और देनदारियां	9013		6,485	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	(3,999)	34,093	2,985	38,299
प्रचालनों से प्राप्त नगदी		**1,96,326**		**2,10,431**
कारपोरेट कर		(17,154)		(24,252)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,79,172**		**1,86,179**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन :–				
अचल परिसंपत्तियां तथा सीडब्ल्यूआईपी	(1,51,762)		(83,778)	
निर्माण स्टोर	–		–	
पूंजी अग्रिम	(30,092)		(29,468)	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(1,81,854)**		**(1,13,246)**

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31/03/2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
ग. वित्तीय गतिविधियों के नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	4,000		3,000	
उधारियां	53,465		17,221	
ऋणों पर ब्याज	(29,106)		(32,887)	
लाभांश तथा कर पर लाभांश	(36,575)		(16,850)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**(8,216)**	**(29,516)**	
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(10,898)**	**43,417**	
ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		**3,918**	**(39,499)**	
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.)		**(6,980)**	**3,918**	

टिप्पणी:

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 25037 लाख रू. (गत वर्ष में 37 लाख रू.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/पुनः दर्शित किया गया है।
3. नगदी और नगदी समकक्ष का मिलान नोट सं. 37.19 में कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	**(श्रीधर पात्रा)**	**(डी.वी.सिंह)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्य सं. 26692	डीआईएनः06500954	डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
		राषि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,55,888
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		4,000
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष		**3,59,888**

ख. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य वृहत् आय	
			सिंचाई क्षेत्र के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
अथ शेष		**0**	**1,44,118**	**4,15,725**	**0**	**(197)**	**5,59,646**
गत वर्ष तक सिचाई घटक बट्टे खाते में			54,129				54,129
निवल अथ शेष		**0**	**89,989**	**4,15,725**	**0**	**(197)**	**5,05,517**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि (आय)/व्यय	35			(117)			(117)
पुनर्अभिलिखित अथ शेष (I)		**0**	**89,989**	**4,15,842**	**0**	**(197)**	**5,05,634**
वर्ष के लिए लाभ				71,393			71,393
अन्य वृहत् आय						(270)	(270)
कुल वृहत् आय				**71,393**		**(270)**	**71,123**
लाभांश				30,389			30,389
लाभांश पर कर				6,186			6,186
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)				**34,818**			**34,548**
डिबेंचर मोचन आरक्षित (III) को स्थानान्तरित				(1,500)			(1,500)
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन–सिंचाई क्षेत्र (IV)			6,531				6,531
डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/ (उपयोग) वर्ष के दौरान (V)					1,500		1,500
अंतिम शेष (I+II+III-IV+V)		**0**	**83,458**	**4,49,160**	**1,500**	**(467)**	**5,33,651**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्य सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

क. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,52,888
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		3,000
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		3,55,888

ख. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य वृहत् आय	कुल
			सिंचाई क्षेत्र के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	
अथ शेष		**0**	**1,44,118**	**3,51,255**	**0**	**0**	**4,95,373**
गत वर्ष तक सिंचाई घटक बट्टे खाते में			47,580				47,580
निवल अथ शेष		**0**	**96,538**	**3,51,255**	**0**	**0**	**4,47,793**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि (आय)/व्यय	35			1,065			1,065
आरंभ में भारतीय लेखांकन समायोजन				487			487
पुनर्अभिलिखित अथ शेष (I)		**0**	**96,538**	**3,50,677**	**0**	**0**	**4,47,215**
वर्ष के लिए लाभ				81,898			81,898
अन्य वृहत् आय						(197)	(197)
कुल बृहत् आय				**81,898**		**(197)**	**81,701**
लाभांश				14,000			14,000
लाभांश पर कर				2,850			2,850
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)				**65,048**			**64,851**
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन– सिंचाई क्षेत्र (IV)			6,549				6,549
अंतिम शेष (I+II+III-IV)		**0**	**89,989**	**4,15,725**	**0**	**(197)**	**5,05,517**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्य सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

टिप्पणी :– 1 संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2017 के अनुसार	1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
क–संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	600	3,305	-	3,905	90	106	-	196	3,709	510
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,913	-	(100)	3,813	-	-	-	-	3,813	3,913
3. अवर्गीकृत भूमि	1,57,043	3,582	-	1,60,625	42,585	5,580	-	48,165	1,12,460	1,14,458
4. भवन	82,233	1,114	(49)	83,298	14,801	2,865	4	17,670	65,628	67,432
5. अस्थायी भवन ढांचे	1,123	30	-	1,153	1,123	30	-	1,153	-	-
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	13,715	193	-	13,908	2,255	489	5	2,749	11,159	11,460
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,500	41	-	1,541	501	75	-	576	965	999
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,231	3	(120)	2,114	1,275	59	(100)	1,234	880	956
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,33,535	71,867	(423)	3,04,979	86,591	13,978	(359)	1,00,210	2,04,769	1,46,944
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,355	88	(31)	1,412	854	102	(6)	950	462	501
11. विद्युत संस्थापनाएं	890	3,276	-	4,166	293	135	-	428	3,738	597
12. पारेषण लाइनें	2,404	32	-	2,436	789	126	-	915	1,521	1,615
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	4,895	406	(8)	5,293	1,942	312	(2)	2,252	3,041	2,953
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	2,104	217	(8)	2,313	788	146	(6)	928	1,385	1,316
15. वाहन	1,387	49	(29)	1,407	628	81	(20)	689	718	759
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	32	5	-	37	85	90
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,10,598	4,132	-	5,14,730	1,94,597	28,292	-	2,22,889	2,91,841	3,16,001
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,39,878	-	-	1,39,878	58,007	7,436	-	65,443	74,435	81,871
19. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय/अप्रचलित आस्तियां	23	-	10	33	-	-	-	-	33	23
उप जोड़	**11,59,549**	**88,335**	**(758)**	**12,47,126**	**4,07,151**	**59,817**	**(484)**	**4,66,484**	**7,80,642**	**7,52,398**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**11,46,825**	**13,111**	**(387)**	**11,59,549**	**3,49,307**	**56,889**	**955**	**4,07,151**	**7,52,398**	**7,97,518**
ख–अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	393	2	-	395	331	19	-	350	45	62
उप जोड़	**393**	**2**	**-**	**395**	**331**	**19**	**-**	**350**	**45**	**62**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**376**	**17**	**-**	**393**	**296**	**35**	**-**	**331**	**62**	**80**

मूल्य ह्रास का ब्यौरा	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास				
लाभ हानि लेखा को हस्तांरित मूल्यह्रास	748		712	
आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन	52,557		49,663	
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान	6,531	59,836	6,549	56,924
वर्ष के दौरान ₹ 1500.00 से अधिक परंतु ₹ 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया	19		18	

1.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रू. के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

1.2 इंड ए एस–16 के अनुसार पीपी एंड ई का मापदंड प्राप्त करने पर स्पेयर्स पार्ट्स के पूंजीगत के कारण उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी में अतरिक्ति 126 लाख रूपए लगाए गए।

टिप्पणीः– 2

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं अमूर्त संपत्तियां विकासाधीन

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2016 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2017 की समाप्ति पर			31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार
			वर्ष 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान वृद्धि	वर्ष 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान समायोजन	वर्ष 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान पूंजीकरण	
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		5,253	1,712	135	(734)	6,366
सड़क, पुल तथा पुलिया		990	251	–	(180)	1,061
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		47	265	(14)	(23)	275
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		76,504	22,327	(1)	(384)	98,446
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग,		1,34,850	50,485	(1,689)	(3,862)	1,79,784
वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		901	22	–	–	923
जलागम क्षेत्र वनीकरण		2,711	608	(22)	(3,260)	37
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		3,058	71,472	–	(74,427)	103
अन्य						
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,794	1	–	(23)	9,772
निर्माण के दौरान व्यय	26.1	854	2,370	(854)		2,370
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)		4,104	810	(48)	(507)	4,359
जोड़		**2,39,066**	**1,50,323**	**(2,493)**	**(83,400)**	**3,03,496**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**1,67,420**	**81,874**	**(2,141)**	**(8,087)**	**2,39,066**
ख) अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**
अमूर्त– परिसंपत्तियां विकासाधीन						
उप जोड़		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**

टिप्पणी :– 3

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 के अनुसार		31 मार्च, 2016 के अनुसार		01 अप्रैल, 2015 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण							
प्रतिभूत		2,690		2,755		2,803	
अप्रतिभूत		1,072		1,521		1,631	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज							
प्रतिभूत		2,580		2,354		2,238	
अप्रतिभूत		232		248		184	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**6,574**		**6,878**		**6,856**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		1,881	4,693	2,177	4,701	2,118	4,738
निदेशकों को ऋण							
प्रतिभूत		0		0		1	
अप्रतिभूत		0		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज							
प्रतिभूत		1		1		3	
अप्रतिभूत		0		0		0	
निदेशको को कुल ऋण		**1**		**1**		**4**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	1	1	3
अन्य							
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए							
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)							
(नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)							
कर्मचारियों के लिए		0		0		0	
अन्य के लिए		0	0	0	0	0	0
जमा राशियां							
अन्य जमा राषियां		0	0	0	0	0	0
उप जोड़			4,694		4,702		4,741
घटाएं: अषोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान				0		0	0
उप जोड़–अग्रिम			**4,694**		**4,702**		**4,741**
कुल ऋण और अग्रिम			**4,694**		**4,702**		**4,741**
टिप्पणीः निदेशकों द्वारा देय							
मूलधन		0		0		1	
ब्याज		1		2		3	
जोड़		**1**		**2**		**4**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	2	1	3
टिप्पणीः अधिकारियों द्वारा देय							
मूलधन		5		3		4	
ब्याज		9		5		5	
जोड़		**14**		**8**		**9**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		2	12	2	6	3	6

टिप्पणीः– 4
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
अन्य							
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1,881		2,177		2,119
जोड़			**1,881**		**2,177**		**2,119**

टिप्पणीः– 5
आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(2,975)		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		80,229	77,254	71,943	68,968	55,083	52,108
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)		(6,313)
जोड़			**70,941**		**62,655**		**45,795**

टिप्पणीः– 6
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
पूर्वभुगतान व्यय		40		40		40	
उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं		0	40	0	40	0	40
उप जोड़			**40**		**40**		**40**
अग्रिम पूंजी							
अप्रतिभूत							
i) बैंक गारंटी के विरूद्ध		44,532		28,842		17,871	
ii) पुनर्वास/पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		29,981		18,947		6,626	
iii) अन्य		29,790		26,281		20,214	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		63	1,04,366	67	74,137	179	44,890
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,492		12,355		12,576
उप जोड – पूंजी अग्रिम			**91,874**		**61,782**		**32,314**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)							
जोड़			**91,914**		**61,822**		**32,354**

टिप्पणीः– 7
माल सामग्री

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
माल सामग्री (भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)							
अन्य सिविल और भवन सामग्री		297		388		722	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		2,772		2,579		2,457	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		217		229		300	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		0	3,286	40	3,236	0	3,479
घटाएं: अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			22		46		311
जोड़			**3,264**		**3,190**		**3,168**

7.1 रू. 126 लाख के यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे पीपी एवं ई के अनुसार पूंजीकृत किया गया है क्योंकि ये भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार पीपी एवं ई के मानदंडों को पूरा करते हैं।

टिप्पणीः– 8
व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण(निवल)							
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		1,02,886		1,25,259		2,35,575	
संदिग्ध समझे गए		20,776	1,23,662	20,774	1,46,033	0	2,35,575
घटाएं:–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			20,776		20,774		0
(ii) अन्य ऋण(निवल)							
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		40,199		70,269		0	
संदिग्ध समझे गए		0	40,199	1,882	72,151	0	0
घटाएं:–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		1,882		0
(iii) विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (निवल)							
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		30,143		11,670		3,144	
संदिग्ध समझे गए		2,201	32,344	2,201	13,871	0	3,144
घटाएं:–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			2,201		2,201		0
जोड़			**1,73,228**		**2,07,198**		**2,38,719**

8.1 व्यापार प्राप्य में रू. 32344 लाख निवल विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (विनियामक परिसंपत्ति रू. 61866 लाख एवं विनियामक देनदारियां रू.29522 लाख) पूर्व वर्ष रू. 13871 लाख (विनियामक परिसंपत्तियां रू. 46125 लाख एवं विनियामक देनदारियां रू. 32254लाख), शामिल है।

टिप्पणी:– 9

नकद एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
नकद एवं नकद समकक्ष							
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ फ्लेक्सी डिपोजिट सहित)			6,700		7,553		4,095
हाथ में चैक, ड्राफ्ट्स, स्टैम्पस			7		1		0
हाथ में नकदी			0		4		3
जोड़			**6,707**		**7,558**		**4,098**

टिप्पणी:– 10

अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
अन्य बैंक शेष							
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध धारणाधिकार के अंतर्गत बैंक में शेष)			25,037		37		37
जोड़			**25,037**		**37**		**37**

टिप्पणीः– 11
लघुवधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण							
प्रतिभूत		774		766		742	
अप्रतिभूत		315		276		241	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज							
प्रतिभूत		138		199		156	
अप्रतिभूत		1		1		3	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**1,228**		**1,242**		**1,142**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		178	1,050	204	1,038	186	956
निदेशकों को ऋण							
प्रतिभूत		0		1		3	
अप्रतिभूत		0		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज							
प्रतिभूत		0		1		0	
अप्रतिभूत		0		0		0	
निदेशको को कुल ऋण		0		2		3	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	2	0	3
अन्य							
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		2	2	2	2	0	0
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)							
कर्मचारियों के लिए		273		299		300	
अन्य के लिए		35	308	35	334	35	335
जमा राशियां							
प्रतिभूति जमा		412		367		356	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		2,534		2,684		2,493	
अन्य जमा राशियां		7	2,953	2	3,053	1	2,850
उप जोड़			**4,313**		**4,429**		**4,144**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए							
प्रावधान			8		8		8
कुल अग्रिम			**4,305**		**4,421**		**4,136**
कुल ऋण और अग्रिम			**4,305**		**4,421**		**4,136**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय							
मूलधन		0		1		3	
ब्याज		0		2		1	
जोड़		**0**		**3**		**4**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	3	0	4
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय							
मूलधन		1		1		2	
ब्याज		1		1		1	
जोड़		**2**		**2**		**3**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	2	1	1	1	2

टिप्पणीः– 12
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
अन्य							
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			179		204		186
जोड़			**179**		**204**		**186**

टिप्पणीः– 13
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
जमा किया गया कर			8,107		4,039		2,446
जोड़			**8,107**		**4,039**		**2,446**

टिप्पणीः– 14
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
पूर्वभुगतान व्यय			3,027		2,209		1,863
अपार्जित ब्याज			22		27		15
उप जोड़			**3,049**		**2,236**		**1,878**
अन्य अग्रिम(अप्रतिभूत)							
कर्मचारियों को			7		14		27
खरीद के लिए			1,591		1,443		1,178
अन्य को			1,675		1,880		1,745
उप जोड़ –अन्य अग्रिम			**3,273**		**3,337**		**2,950**
जोड़			**6,322**		**5,573**		**4,828**

टिप्पणीः– 15

शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत							
1000/–रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी 1000/–रू. प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,59,88,817	3,59,888	3,55,88,817	3,55,888	3,52,88,817	3,52,888
कुल		**3,59,88,817**	**3,59,888**	**3,55,88,817**	**3,55,888**	**3,52,88,817**	**3,52,888**

वर्ष के दौरान कंपनी ने 1000 रू. सममूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर 45.52 रू. (पूर्व वर्ष 39.67 रू.) की दर से वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 16200 लाख रू. के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है ।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए वर्ष के दौरान 14189 लाख रू. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम लाभांश 7911 लाख रू. का प्रस्ताव किया है । इस प्रकार वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम लाभांश 1000 रू. सममूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर 61.41 रू. (पूर्व वर्ष 45.52 रू.) की दर से 22100 लाख रू. है ।

टिप्पणीः– 15.1
कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर वाले शेयर धारकों की संख्या

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2016 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक							
1. भारत सरकार		2,66,39,417	74.02	2,62,39,417	73.73	2,59,39,417	73.51
2. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	25.98	93,49,400	26.27	93,49,400	26.49
कुल		**3,59,88,817**	**100**	**3,55,88,817**	**100**	**3,52,88,817**	**100**

टिप्पणीः– 15.2
शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रारंभिक		3,55,88,817	3,55,888	3,52,88,817	3,52,888	3,47,30,917	3,47,309
निर्गत		4,00,000	4,000	3,00,000	3,000	5,57,900	5,579
अंतिम		**3,59,88,817**	**3,59,888**	**3,55,88,817**	**3,55,888**	**3,52,88,817**	**3,52,888**

टिप्पणी:– 16
दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
क. बॉंड्स							
बॉंड्स निगम सं. 1 – प्रतिभूत* (प्रत्येक रू. 1000000/–के 7.59 प्रतिशत की दर से गैर–परिवर्तिनीय बॉंड 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय) (मोचन की तारीख 03.10.2026)			60,000		0		0
जोड़ क			**60,000**		**0**		**0**
ख. प्रतिभूत							
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)** (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में12.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			49,653		58,681		67,708
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302002 (केएचईपी के लिए) (15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			43,875		55,575		67,275
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए– जीई–पीएसयू–033 –2010– 3754) (30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 11.40 से 12.25 प्रति का प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			29,781		36,789		43,796
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)–330001– (टिहरी एचपीपी के लिए)* (सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच)			38,072		47,840		58,536

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) –32677052247 (टिहरी पी एस पी के लिए)## स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2026 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/आधार दर +12 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 10.4 प्रतिशत			1,22,765		1,16,632		73,999
जोड़ (ख)			**2,84,146**		**3,15,517**		**3,11,314**
ग. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा) विश्व बैंक ऋण–8078–आई एन (वीपीएचईपी के लिए)							
(15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों में छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर / एल आई बी ओ आर+ भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 1.87%)			60,039		34,275		16,252
जोड़ (ग)			**60,039**		**34,275**		**16,252**
कुल (क+ख+ग)			**4,04,185**		**3,49,792**		**3,27,566**

** टिहरी चरण–। की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते हैं टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण

टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण।

* टिहरी एचपीपी चरण–I की वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम/सममूल्य प्रभार बांड सुरक्षित है।

$ संबंधित ऋण रैंकिग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणीः— 17
गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
देनदारियां							
व्यय के लिए							
माइक्रो और लघुउद्यमों के लिए		0		0		0	
अन्यों के लिए		0	0	0	0	0	0
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		1,154		662		265	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		220	934	164	498	97	168
जोड़			**934**		**498**		**168**

टिप्पणीः— 18
अन्य गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभः प्रतिभति जमा/ प्रतिधारण राशि			220		164		97
जोड़			**220**		**164**		**97**

टिप्पणीः— 19
अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व							
अंतिम तुलन–पत्र के अनुसार		21,271		21,271		21,271	
जोडेः वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0		0	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन		0	21,271	0	21,271	0	21,271
अन्य देनदारियां			0		0		0
जोड़			**21,271**		**21,271**		**21,271**

टिप्पणीः– 20
दीर्घावधि प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष के लिए				
		01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
I. कर्मचारियों से संबंधित		32,245	6,986	(494)	(82)	38,655
II. अन्य		488	(108)	0	(65)	315
कुल		**32,733**	**6,878**	**(494)**	**(147)**	**38,970**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**32,246**	**9,060**	**(5,712)**	**(2,861)**	**32,733**

कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में ए एस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 31.15 में कर दिया गया है।

टिप्पणीः– 21
लघुवधि उधार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 के अनुसार		31 मार्च, 2016 के अनुसार		01 अप्रैल, 2015 के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण							
क. प्रतिभूत ऋण							
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)*							
पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग दर आधार दर अर्थात 9.6 %)			38,724		3,677		43,634
कुल			**38,724**		**3,677**		**43,634**

* परियोजना स्थल पर मशीनरी स्पेयर्स, औजार एवं अनुषंगियों, ईंधन स्टाक स्पेयर एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी के कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के **रू. 38,724 लाख का ओडी सुरक्षित है**

टिप्पणीः– 22
देय व्यापार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016		01 अप्रैल, 2015	
देय व्यापार–एमएसएमईडी			0		0		0
देय व्यापार – अन्य से भिन्न एमएसएमईडी			41		49		72
कुल			**41**		**49**		**72**

टिप्पणीः– 23
अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता							
क. प्रतिभूत			37,503		38,431		43,436
(भारतीय मुद्रा में ऋण)							
कुल			**37,503**		**38,431**		**43,436**
देनदारियां							
व्यय के लिए							
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		1		37		0	
अन्य के लिए		19,419	19,420	14,219	14,256	6,167	6,167
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		5,232		3,945		3,912	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0	5,232	0	3,945	0	3,912
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0		0		0
ब्याज उपार्जित किंतु देय नहीं							
वित्तीय संस्थाएं		6,660		4,744		4,870	
अन्य देनदारियां		0	6,660	0	4,744	0	4,870
कुल			**31,312**		**22,945**		**14,949**
कुल देनदारियां			**68,815**		**61,376**		**58,385**

* प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–16 में दिए गए हैं।

टिप्पणीः– 24
अन्य चालू दायित्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
दायित्व							
अन्य दायित्व			3,749		3,587		3,360
योग			**3,749**		**3,587**		**3,360**

टिप्पणीः– 25
लघुवधि प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष के लिए				31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
		01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	
I. कार्य		489	77	(71)	(90)	405
II. कर्मचारियों से संबंधित		8,342	4,946	(249)	(4,531)	8,508
III. अन्य		11,752	5,009	(14,695)	(632)	1,434
जोड़		**20,583**	**10,032**	**(15,015)**	**(5,253)**	**10,347**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**18,085**	**16,903**	**(3,595)**	**(10,810)**	**20,583**

कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 37.15 में कर दिया गया है।

टिप्पणीः– 26
चालू कर देताएं (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 तक		31 मार्च, 2016 तक		01 अप्रैल, 2015 तक	
आय कर							
अथ शेष			0		2,112		0
अवधि के दौरान वृद्धि			15,156		23,998		11,292
अवधि के दौरान समायोजन			(6,330)		(5,323)		(192)
अवधि के दौरान उपयोग			(8,826)		(20,787)		(8,988)
अंतिम शेष			**0**		**0**		**2,112**

टिप्पणीः– 26.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	29				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		10,917		8,657	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		633		557	
पेंशन निधि		541		435	
उपदान		1,659		262	
कल्याण		134		66	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		44	13,928	21	9,998
अन्य व्यय	**31**				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		72		78	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		295	367	236	314
दर एवं कर			28		2
विद्युत एवं ईंधन			576		601
बीमा			35		8
संचार			80		120
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		3		2	
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत		0		0	
भवन		29		300	
अन्य		140	172	314	616
यात्रा एवं वाहन			241		297
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			358		364
सुरक्षा			98		228
प्रचार तथा जनसंपर्क			46		33
अन्य सामान्य व्यय			929		672
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			3		2
प्रतिभूत जमा पर ब्याज/ प्रभावी ब्याज दर के लेखे पर प्रतिधारण राशि		89		19	
मूल्यह्रास	1		748		712
कुल व्यय (क)			**17,698**		**13,986**
प्राप्तियां					
अन्य आय	28				
ब्याज					
बैंक जमा से		5		1	
कर्मचारियों से		114		102	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिमः प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		44		21	
अन्य से		3	166	9	133

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
मशीन किराया प्रभार			15		11
किराया प्राप्तियां			49		58
विविध प्राप्तियां			50		291
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			22		74
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			1		0
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूत जमा / प्रतिधारण राशि			89		19
कुल प्राप्तियां (ख)			**392**		**586**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**17,306**		**13,400**
कराधान के लिए प्रावधान	33				
कराधान सहित निवल व्यय			**17,306**		**13,400**
लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्व अवधि मदें	35		**(73)**		**1**
ओसीआई के माध्यम से बिमांकिक लाभ / (हानि)	34		**(131)**		**(122)**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			854		2,105
कुल ईडीसी			**18,218**		**15,628**
घटाएं :					
ईडीसी को सीडब्ल्यूआईपी / परिसम्पत्ति आबंटित		15,358		14,045	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		490	15,848	729	14,774
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**2,370**		**854**

टिप्पणीः– 27
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		2,07,903		2,45,083	
घटाएं :–					
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित		0	2,07,903	0	2,45,083
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			1,419		1,481
परामर्श से आय			152		85
योग			**2,09,474**		**2,46,649**

27.1 कंपनी को टिहरी एचईपी के लिए माननीय सीईआरसी से दिनांक 20.03.2017 (2009–14 ट्रूइंग आदेश) तथा दिनांक 29.03.2017 (2014–19 टैरिफ आदेश) का आदेश प्राप्त हुआ। सीईआरसी ने एएफसी आधारित, चालू वित्त वर्ष 2016–17 हेतु राजस्व को अनुमत्य किया।

इस आदेश के फलस्वरूप पिछले वर्षों की राशि (–) 16147 लाख रू. को चालू वित्त वर्ष में आसाधारण/अपवादिक मद के रूप में लेखांकित किया गया।

कोटेश्वर एचपीपी सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की गयी है। अंतिम आदेश प्राप्त होने तक महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार प्रचलित टैरिफ विनियम के रूप में एएफसी दावे के आधार पर विक्रय राजस्व के रूप में मान्यता दी है।

दो नयी स्थापित (50 मे.वा. + 63 मे.वा.) पवन ऊर्जा परियोजनाओं से आपूर्ति की गई विद्युत के संदर्भ में प्राप्त विक्रय राजस्व रू. 2328.41 लाख को चालू वित्त वर्ष में बिक्री की मान्यता दी गयी।

टिप्पणीः– 28
अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस रू. 10087.00 शामिल है, पिछले वर्ष 3494.00रू.)		255		55	
कर्मचारियों से		395		412	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम–प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		426		172	
अन्य		326	1,402	32	671
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			15		13
किराया प्राप्तियां			117		141
विविध प्राप्तियां			569		698
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			12,297		469
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			7		42
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			108		33
जोड़			**14,515**		**2,067**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		392		586
जोड़			**14,123**		**1,481**

28.1 वापस लिए गए अधिक प्रावधान में रू. 9,977 लाख का जल कर एवं हरित ऊर्जा उपकर से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणीः– 29
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			31,506		27,236
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			2,056		1,682
पेंशन निधि			1,770		1,460
उपदान			3,100		1,777
कल्याण व्यय			495		528
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			426		172
योग			**39,353**		**32,855**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		13,928		9,998
योग			**25,425**		**22,857**

टिप्पणीः– 30
वित्तीय लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
बॉंड निर्गम श्रृंखला 1 पर ब्याज			2,246		0
ऋणों पर ब्याज			40,358		45,003
जोड़			**42,604**		**45,003**
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत			13,498		12,116
जोड़			**29,106**		**32,887**

टिप्पणीः– 31

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		174		163	
कर्मचारी आवास किराया		698	872	699	862
दर एवं कर			187		141
विद्युत एवं ईंधन			1,745		1,573
बीमा			2,056		2,240
संचार			363		369
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,529		1,540	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		519		800	
भवन		1,105		1,096	
अन्य		2,265	5,418	2,422	5,858
यात्रा एवं वाहन			632		999
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,211		1,024
सुरक्षा			3,264		2,824
प्रचार तथा जनसंपर्क			303		298
अन्य सामान्य व्यय			3,383		2,253
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			72		25
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			490		729
अनुसंधान और विकास			434		345
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			84		30
निगम की सीएसआर एवं एस डी गतिविधियों पर व्यय			1,528		1,335
ग्राहकों को छूट			385		341
सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर का खाते पर प्रतिधारण राशि			108		33
जोड़			**22,535**		**21,279**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		3,022		3,276
जोड़			**19,513**		**18,003**

टिप्पणीः– 32
प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			443		6
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान			2		3
योग			**445**		**9**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		0		0
योग			**445**		**9**

टिप्पणीः– 33
कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			17,154		24,252
उप जोड़			**17,154**		**24,252**
जोड़			**17,154**		**24,252**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			0		0
उप जोड़			**0**		**0**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		0		0
जोड़			**0**		**0**

टिप्पणीः– 34
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(545)		(423)
उप जोड़			**(545)**		**(423)**
घटाएं					
ईडीसी को अंतरित	26.1		(131)		(122)
जोड़			**(414)**		**(301)**

टिप्पणीः– 35

लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्वावधि मदें

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
पूर्वावधि आय					
विविध प्राप्ति		3	3	6	6
पूर्वावधि व्यय					
मरम्मत एवं अनुरक्षण		(215)		12	
मूल्यह्रास		28		1,058	
किराया दर एवं कर		0		2	
विविध – अन्य		0	(187)	0	1,072
उप जोड़			**(190)**		**1,066**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		(73)		1
जोड़			**(117)**		**1,065**

36. एमसीए द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया हैं।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	**वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण**	• वित्तीय विवरणों को इंड एएस की अनुवर्ती अनुसूची–।।। के अनुसार तैयार किया गया है। • वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित सभी सूचनाओं का खुलासा किया गया है। • सूचनाएं अन्यत्र कहीं प्रस्तुत नहीं की गई जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए भी प्रासंगिक है उसका खुलासा किया गया है।
इंड एएस 2	**माल सूची**	• कंपनी जल, पवन और सौर विद्युत सहित अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। इस प्रकार इसमें कोई कच्चा माल या डब्ल्यू आई पी नहीं होता है, हालांकि उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली खपत का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
इंड एएस 7	**नकदी प्रवाह विवरण**	• नकदी प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय विवरणों के एक अभिन्न अंग के रूप में तैयार किया जा रहा है, जैसा कि इंड एएस 7 के पैरा 18 (ख) में परिभाषित किया गया है और उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 20 में बताया गया है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां	• लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव और त्रुटियों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्य किया जाता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जिनमें यह अव्यवहारिक हों। • अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव को भविष्य लक्षी रूप से लेखांकित किया जाता है। • इक्विटी और उससे संबंधित टिप्पणियों में परिवर्तन विवरण में असाधारण मदें/व्यय तथा पूर्व अवधि मदों (आय–व्यय) का खुलासा किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग/अवधि पश्चात की घटनाएं	• तुलन पत्र की तिथि के बाद ऐसी कोई मुख्य रिपोर्ट योग्य घटना नहीं घट रही है। • इंड एएस 10 के अनुसार, भुगतान के वर्ष में लाभांश को लेखा में लिया जा चुका है।
इंड एएस 11	निर्माण अनुबंध	• कंपनी न तो निर्माण व्यापार में है और न रिपोर्टिंग अवधि में कोई निर्माण अनुबंध किया है। अतः यह मानक लागू नहीं होता।
इंड एएस 12	आय कर	• आस्थगित कर की गणना एएस प्रावधानों के अनुपालन में तुलन पत्र दृष्टिकोण के अनुसार की गई है। • वर्ष 2016–17 के दौरान 8,286 लाख रू. की आस्थगित कर संपत्तियों का लेखांकन किया गया।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	• कंपनी ने एएस 101 के तहत छूट प्राप्त की है। • इंड एएस को संक्रमण की तारीख पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर युक्त परिसंपत्ति के रखाव–मूल्य से उचित माना गया है। यह मानते हुए कि मानित रखाव–लागत इंड एएस 101 के अनुपालन में है।
इंड एएस 17	पट्टे	• कंपनी के पास वित्तीय पट्टे वाली कोई संपत्ति नहीं है। • आपरेटिंग लीज लेनदेन का खुलासा किया गया है और इसे खर्च के रूप में माना गया है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 18	राजस्व	• कंपनी सीआरईसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ विनियमों के आधार पर निर्धारित सीआरईसी और एएफसी (वार्षिक स्थिर लागत) द्वारा निर्धारित अंतिम टैरिफ के आधार पर बिक्री राजस्व को मान्यता देती हैं। विशिष्ट लेखांकन नीति संख्या 13.1 से 13.9 तक राजस्व मान्यता तंत्र की जानकारी देती है जिसे कंपनी द्वारा अपनाया गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	• परिभाषित अंशदान योजना के तहत कंपनी अंशदायी भविष्य निधि और अधिवर्षिता पेंशन फंड में अंशदान दे रही है। • उपर्युक्त के अतिरिक्त, कंपनी निर्धारित लाभ योजना के तहत, ग्रेच्यूटी, अर्जित छुट्टी, पीआरएमबी (पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ) पोस्ट सेवानिवृत्ति सामान भत्ते का भी भुगतान कर रही है। • कर्मचारियों के लाभों का वास्तविक मूल्यांकन किया गया और इंड एएस 19 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई है।
इंड एएस 20	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन	उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई के घटक के रूप में प्राप्त राशि, इंड एएस 20 के अनुसार खातों में मान्य की गई है। विवरणों का महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 11 के माध्यम से प्रकटन किया गया है।
इंड एएस 21	विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित लेखांकन नीतियों का लेखांकन नीति सं. 6.1 से 6.3 के तहत प्रकटन किया गया है
इंड एएस 23	उधारी लागत	कंपनी ने इंड एएस23 के अनुसार दीर्घावधि संपत्तियों पर उधारी लागत का पूंजीकरण कर दिया है। विवरण को लेखांकन नीति सं. 16. 1 से 16.2 में स्पष्ट किया गया है।
इंड एएस 24	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	सेवा–टीएचडीसी को सीएसआर गतिविधियों और निदेशकों के पारिश्रमिक के भुगतान का विवरण इंड एएस–24 के द्वारा प्रकट किया गया है।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	कंपनी के पास कोई होल्डिंग/सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए लागू नहीं है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 28	सहयोग और संयुक्त उद्यम में निवेश	कंपनी के किसी सहयोगी / संयुक्त उद्यम में कोई निवेश नहीं है, इसलिए लागू नहीं है।
इंड एएस 29	अति स्फीति अर्थव्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	लागू नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधन प्रस्तुति	• अभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय और गैर वित्तीय रूप में विभाजित किया गया है। • वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा गया है। • जहां भी लागू हो, प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को अधिक मूल्य दिया गया है। • उचित मूल्य लाभ / नुकसान को परिसंपत्तियों के जीवन पर परिशोधित कर दिया गया है।
इंड एएस 33	प्रति शेयर अर्जन	कंपनी ने संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं, अतः मूल और डाइल्यूटेड ई पी एस दोनों ही सामान्य हैं तथा लाभ और हानि के विवरण में इसका समुचित प्रकटन किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	कंपनी ने निजी प्लेसमेंट आधार के माध्यम से धन जुटाया है और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध हुई है। एक ओडीआर के अनुसार अर्धवार्षिक अंतरिम वित्तीय एक सुशासन के रूप में टीएचडीसीआईएल अंतरिम वित्तीय कथनों की तैयारी कर रहा है।
इंड एएस 36	परिसंपत्तियों की हानि	वर्ष के दौरान परिसंपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा परिसंपत्तियां	नकदी बर्हिगमन की निश्चितता तथा घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं के आधार प्रबंधन अनुमानों के अनुसार पर समुचित देनदारियों की व्यवस्था की गई। अन्य मामलों में आक्समिक देनदारियों का प्रकटीकरण किया गया है। वर्ष के दौरान कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्तियां	कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 5.1 से 5.4 के स्पष्टीकरण के अनुसार इसके उपयोगी जीवन काल के बाद लागत परिशोधित की जाती है।
इंड एएस 40	निवेशित संपत्ति	कंपनी के पास निवेशित संपत्ति जैसी कोई परिसंपत्ति नहीं है। अतः मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	लागू नहीं
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानक का पहली बार अपनाया जाना	• इंड एएस 101 में निर्धारित दिशा–निर्देशों और सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए। • कंपनी ने इंड एएस 101 में उपलब्ध निम्नलिखित छूट (भूतलक्षी प्रभाव से नहीं) का लाभ स्वीकार किया। क. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं मापन ख. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि ग. अनुमान घ. मानित लागत च. पूर्व मान्य वित्तीय लिखतों का अभिदान छ. वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों का प्रारंभिक स्तर पर उचित मूल्य मापन ज. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की लागत में विसंस्थापन देनदारियां शामिल हैं। झ. उधारी लागत
इंड एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	लागू नहीं
इंड एएस 103	व्यापार संयोजन	लागू नहीं

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 104	बीमा संविदाएं	लागू नहीं
इंड एएस 105	बिक्री हेतु पुरानी परिसंपत्तियां और बंद हुए प्रचालन	वर्ष के दौरान कोई प्रचालन/गतिविधि बंद नही हुई। अतः किसी प्रकटन की जरूरत नहीं।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों का उत्खनन और मूल्यांकन	लागू नहीं
इंड एएस 107	वित्तीय लिखतों का प्रकटन	यथा निर्धारित सूचना का समुचित रूप से प्रकटन
इंड एएस 108	प्रचालनीय खंड	कंपनी का मुख्य कार्य जल विद्युत उत्पादन एवं विक्रय है तथा इससे लगभग 98 % सकल विक्रय राजस्व प्राप्त होता है। कंपनी ने हाल ही में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पर्दापण किया है। यह इंड एएस 108 के पैरा 13 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इसलिए वित्तीय विवरणों को एकल खंड के रूप में तैयार किया गया है।
इंड एएस 109	वित्तीय लिखतें	वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत से मापा जाता है क्योंकि वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां दोनों ही मानक के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करते हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8 से 10 में ब्यौरे को स्पष्ट किया गया है।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	लागू नहीं
इंड एएस 111	संयुक्त अनुबंध	लागू नहीं
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में रूचि का प्रकटन	लागू नहीं

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 113	**उचित मूल्य मापन**	कंपनी ने सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य मापन के लिए इंड एएस के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को इस्तेमाल किया है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 7.1 से 7.4 में वर्णित है।
इंड एएस 114	**विनियामक आस्थगित लेखे**	जैसा कि इंड एएस 114 के अंतर्गत अनुमत्य है कंपनी पिछली जीएएपी दर नियामक लेखांकन नीति को जारी रखे हुए है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 22.1 में इसका ब्यौरा दिया गया है।

टिप्पणी सं.– 37 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. इंड–एएस में संक्रमण

ये कंपनी के वित्तीय विवरणों का पहला सेट है जिसे इंड एएस के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 सहपठित कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 (भारतीय जीएएपी) के पैरा 7 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार 31 मार्च 2016 की अवधि तक और इस तिथि को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

तदनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष पर लागू भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण तुलनात्मक अवधि आंकडे के साथ तैयार किए गए हैं जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार में वर्णित है। इन वित्तीय विवरणों को कंपनी के अथ शेष पत्र 01 अप्रैल, 2015, जो कंपनी की भारतीय लेखांकन मानक की संक्रमण तिथि है, के अनुसार तैयार किया गया। इस टिप्पणी में कंपनी द्वारा भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों में 01 अप्रैल 2015 के तुलन पत्र सहित तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अंत में वित्तीय विवरणों सहित, प्रमुख समायोजनों को स्पष्ट किया गया है।

(क) छूट और अपवाद का लाभ उठाना – लागू भारतीय लेखांकन मानक 101 छूट तथा अनिवार्य अपवाद नीचे प्रदर्शित है तथा पिछले जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में संक्रमण पर लागू है।

वैकल्पिक छूट

क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेशित संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित लागत कार्यात्मक करेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होने से कंपनी (भारतीय रूपया कार्यात्मक करेंसी है) ने भारतीय लेखांकन मानक के परिशिष्ट सी के पैरा डी 7एए के अंतर्गत छूट का इस्तेमाल किया है जो पहली बार इसे अपनाने वालों को इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के रखाव–मूल्य को, जारी रखने की अनुमति देता है जिसे भारतीय लेखांकन मानक में संक्रमण तिथि को पिछले जीएएपी के रखाव–मूल्य से मापा जाता है।

ख) दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें – भारतीय लेखांकन मानक 101 के परिशिष्ट सी के पैराग्राफ डी13 एए पहली बार अपनाने वाले को मान्य है। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर के लिए अपनाई गई नीति को पिछले जीएएपी के अनुसार पहले भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि से तत्काल पहले समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरणों को जारी रखने की अनुमति देता है। कंपनी ने पैराग्राफ डी 13 एए के अंतर्गत छूट का लाभ उठाया है और पूर्व में दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को जिन्हें 31.03.2016 तक मान्य किया गया है, इसमें उद्भूत विनिमय अंतर लेखांकन हेतु अंगीकृत लेखा नीति को लागू करना जारी रखा है।

(ख) पिछले जीएएपी तथा भारतीय लेखांकन मानक में मिलान

भारतीय लेखांकन मानक को इक्विटी मिलान पूर्वावधि की सकल व्यापक आय और नकदी प्रवाह के लिए कंपनी की जरूरत होती है। निम्नलिखित सारिणी में पिछले जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक का मिलान प्रस्तुत है।

1. भारतीय लेखांकन मानक तथा पिछले जीएएपी का पूर्वावधि तथा 31 मार्च, 2016 के मध्य सकल इक्विटी का मिलान।

(लाख रू.)

क्रम सं.	समायोजन की प्रकृति		अन्य इक्विटी	
		नोट	31 मार्च, 16 की स्थिति	01.04.2015 की स्थिति
	पिछली भारतीय जीएएपी के अनुसार सकल इक्विटी		**841,686**	**783,831**
1	लेखांकन नीति में परिवर्तन तथा पूर्व अवधि मदें एवं अन्य	III	-1065	-
2	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन	I	799	-
3	आस्थगित कर	II	487	-
4.	लाभांश (निवल डीडीटी)	IV	19,498	16,850
	कुल		**861,405**	**800,681**
	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल इक्विटी		**861,405**	**800,681**

2. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय लेखांकन मानक तथा पिछले जीएएपी के मध्य सकल लाभ का मिलान

(लाख रू.)

क्रम सं.	समायोजन की प्रकृति	नोट	लाभ–मिलान
			31 मार्च, 16 को समाप्त वर्ष
	पिछली भारतीय जीएएपी के अनुसार निवल लाभ (पीएटी)/अन्य इक्विटी		80,902
1	लेखांकन नीति में परिवर्तन तथा पिछली अवधि की मदें तथा अन्य	III	1,065
2	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन	I	315
3	आस्थगित कर	II	-104
4	अन्य	V	-280
	कुल		**81,898**
	ओसीआई से पूर्व निवल लाभ (पीएटी)/भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल इक्विटी		**81,898**

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय लेखांकन मानक तथा पिछले भारतीय जीएएपी के मध्य नकदी प्रवाह विवरण का मिलान

(लाख रू.)

कम सं.	समायोजन की प्रकृति	नोट	नकदी एवं नकदी समतुल्य मिलान
			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
	तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		7595
1	ओवर ड्राफ्ट शेष	VI	(3677)
	कुल		**3918**
	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		**3918**

पहली बार अंगीकृत किए जाने पर मिलान पर टिप्पणियां

निम्नलिखित क्षेत्रों में लेखांकन नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख अंतर इस प्रकार है–

I. **वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकनः** कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्यांकन प्रभावी ब्याज दर के आधार पर किया। संक्रमण–तिथि को उचित मूल्य परिवर्तन का प्रभाव प्रारंभिक आरक्षित निधि (ओपनिंग रिजर्व) तथा तदनन्तर परिवर्तन को लाभ एवं हानि लेखों अथवा अन्य व्यापक आय, जैसा भी प्रकरण हो, हेतु मान्य किया गया।

II **आस्थगित करः** संक्रमण समायोजन का प्रभाव भारतीय लेखांकन मूल्यांकन अधिदेश तुलन पत्र दृष्टिकोण (पिछले जीएएपी में लाभ एवं हानि दृष्टिकोण के विरूद्ध) से आस्थगित करों की संगणना के फलस्वरूप संक्रमण तिथि को तदन्तर अवधि में लाभ हानि लेखों में अनुवर्ती प्रभाव से आरक्षित निधि में परिवर्तन हुआ।

III **पूर्व–अवधि मदें:** भारतीय लेखांकन मानक–8 की अपेक्षाओं के अनुसार यह अधिदेश है कि पिछले वर्ष के व्यय को चालू वर्ष की मदों में शामिल नहीं किया जाए। उन्हें पूर्व वर्ष की आरक्षित निधि से समायोजित किया जाना है। इसका प्रभाव भी वर्ष 2016 की आरक्षित निधि के माध्यम से समायोजित किया जाए।

IV **रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं लाभांश लेखांकन** – भारतीय लेखांकन मानक 10 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन के निर्णयानुसार उपलब्ध कराए जाने वाले लाभांश की चालू वर्ष के लेखों में गणना नहीं की जाती है क्योंकि वर्ष के अंत तक उसका अनुमोदन नहीं हुआ है। इन्हें केवल अभी टिप्पणियों में ही प्रकट किया जाना है, जबकि चालू वर्ष में भुगतान किए जाने वाले पिछले वर्ष के लाभांश की गणना की जानी है। इसका प्रभाव भी वर्ष 2016 में समायोजित किया जाएगा।

V **अन्यः** अन्य समायोजनों में प्राथमिक रूप से शामिल हैं –

क. सेवानिवृत्ति दायित्व परिसंपत्तियों के संबंध में धन की समय मूल्य विशेषता भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत वर्तमान मूल्यों पर मापे और मान्य किए जाते हैं। पिछले भारतीय जीएएपी के अंतर्गत इसे लागत पर अभि लेखित किया गया। संक्रमण तिथि के बाद की अवधि का प्रभाव लाभ एवं हानि लेखों से प्रतिफलित होता है।

ख. अन्य परिवर्तन मुख्य रूप से लेखों के पुनः समूहन (रिग्रुपिंग) तथा अन्य समायोजन भारतीय लेखांकन मूल्यांकन अनुपालन अनुसूची ।।। की अपेक्षाओं का अनुपालन है।

VI **31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह पर भारतीय लेखांकन मानक अंगीकरण का प्रभाव**–पिछले जीएएपी के अंतर्गत बैंक में जमा सभी धनराशि नकदी और नकदी समतुल्य थी। तथापि भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत ओवर ड्राफ्ट बैलेंस को नकदी या नकदी समतुल्य माना जाता है। अतः तुलन पत्र और नकदी प्रवाह विवरण में रिपोर्ट किए गए नकदी और नकदी समतुल्य में अंतर है और तदनुसार उनकी रिपोर्ट की गई है।

2. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 253459 लाख रूपये (गत वर्ष रू. 289750 लाख और 01.04.2015 को रू. 336836 लाख) है।

3. **आकस्मिक देयताएं**

(लाख रू. में)

	2016-17	2015-16	01.04.2015
(i) कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया, माध्यस्थम /अदालती मामले			
मूलधन			
सरकारी/सीपीएसई	49925	28701	2421
अन्य	101587	103551	104423
(क)	151512	132252	106844
ब्याज			
सरकारी/सीपीएसई	10365	11990	218
अन्य	161304	147716	96070
(ख)	171669	159706	96288
कुल योग (क+ख)	**323181**	**291958**	**203132**
(क) कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी	25470	371	371
(ख) विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय/जिला न्यायालय अदालती मामलों में कंपनी के विरूद्ध डिक्री की गई तथा कंपनी द्वारा जमा की गई लेकिन विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।	351	351	351
(ii) विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर आदि जिसमें कंपनी द्वारा जमा कराए गए 173 लाख रूपये (पिछले वर्ष 323 लाख रूपये और 01.04.15 को 173 लाख रूपये) जो अपील के अंतर्गत है।	639	572	186
(iii) अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	115	411	232

4. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 141 लाख रुपये एवं 1033 लाख रूपये (गत वर्ष 69 लाख रूपये तथा 1184 लाख रुपये तथा 01.04.2015 को 36 लाख रूपये तथा 1203 लाख रूपये) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 17 एवं 23 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 6386 लाख रुपये (गत वर्ष 4607 लाख रुपये तथा 01.04.2015 को 4177 लाख रूपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

5. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 10 लाख राशि/(गत वर्श 4 लाख रूपये) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 13498 लाख रु. (गत वर्ष 12116 लाख रु.) है।

6(i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ सं.8–3/89–एफ सी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई–186/7–1–2002–300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.932 हेक्टेयर भूमि में से 337.057 हेक्टयेर पट्टे पर दी गई भूमि का विलेख कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टयेर वन भूमि के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 2547.83 हेक्टेयर(गत वर्ष 2497.53 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 1937.30 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 610.35 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो कांप्लेक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तरांचल सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फारेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23–सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

7. कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्मित किए गए 27 फ्लैट (गत वर्ष 28 फ्लैट तथा 01.04.2015 को 30 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

8. (क) टीएचडीसीआईएल ने एसबीआई के नेतृत्व वाले सहायता संघ (कंसोर्टियम) के साथ निर्माणाधीन टिहरी पीएसपी के वास्ते रू. 1,50,000 लाख के दीर्घावधि ऋण हेतु अनुबंध किया। इस परियोजना को फरवरी 2016 तक पूरा किया जाना था परियोजना की पूर्णता अवधि को पुनः निर्धारित किया गया और इसे यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किए गए। मूल ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार समग्र ऋणराशि का फरवरी, 2016 तक आहरण किया जा सकता था तथा अगस्त 2016 से पुनर्भुगतान करना तय था। चूंकि समस्त स्वीकृत राशि का आहरण नहीं किया गया तथा कमीशनिंग (पूर्णता) अवधि को भी पुनः निर्धारित किया गया, इसीलिए टीएचडीसीआईएल ने ऋणदाता संस्थानों से फरवरी 2018 तक संवितरण अवधि बढ़ाने और तदनुसार पुनर्भुगतान सूची निर्धारित करने के लिए औपचारिक पुष्टि करने का अनुरोध किया। टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर विचार करते हुए ऋणदाताओं ने निधि जारी कर दी। संपूर्ण आहरित ऋण राशि को दीर्घावधि ऋण के रूप में मान्य करने संबंधी औपचारिक सूचना प्राप्त होने तक कोई पुनर्भुगतान देय नहीं हुआ।

(ख) विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन अमेरिकी डालर वर्तमान में निर्माणाधीन वीपीएचईपी (विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना) को निधि 2012 से 2017 के मध्य संवितरण हेतु उपलब्ध कराने संबंधी वित्तीय अनुबंध किया गया। टीएचडीसीआईएल ने 31 मार्च, 2017 तक 92.6 मिलियन अमेरिकी डालर का ही आहरण किया है। परियोजना की धीमी प्रगति के कारण संवितरण अनुसूची को भी 2020 (2012 से 2020 तक) बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस अनुबंध के अनुसार 46 समान छमाही किस्तों में पुनर्भुगतान किया जाना है जिसकी पहली किस्त का भुगतान नवंबर, 2017 में किया जाएगा। संवितरण अनुसूची के विस्तार के परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान नवंबर 2020 तक स्थगित करना अपेक्षित है।

टीएचडीसीआईएल ने विश्व बैंक से संवितरण अनुसूची का विस्तार तथा उपरोक्त वर्णित पुनर्भुगतान अनुसूची के स्थगन करने का अनुरोध किया है। परियोजना स्थल का दौरा करने वाले विश्व बैंक के दल को भी इससे अवगत करा दिया गया। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने तक, आहरित संपूर्ण ऋण राशि को दीर्घकालिक ऋण माना गया है।

ग) कंपनी ने कारपोरेट बांड के आधार पर निजी बाजार से 60,000 लाख रूपये जुटाए। व्यय न की गई रू. 25037 लाख की राशि अलग बैंक एकाउंट में अलग रख दी गई है।

9. सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन :

भारतीय लेखांकन मानक 24 द्वारा यथापेक्षित ''संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण'' इस प्रकार है–

क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

i) प्रमुख प्रबंध कार्मिक

1. श्री आर एस टी शाई *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. वी. सिंह **	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3. श्री डी. वी. सिंह *	निदेशक (तकनीकी)
3. श्री एस के बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
4. श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)
5. श्री एस.क्यू. अहमद	कंपनी सचिव
6. सुश्री रश्मि शर्मा*	कंपनी सचिव

(*) 30.11.2016 तक

(**) 01.12.2016 से

(#) 27.04.2017 से

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी लाभ के लिए नहीं, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की गई।

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 1528 लाख रूपये संवितरित किए गए।

ग) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक और भत्ते तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 246 लाख रु. (गत वर्ष 273 लाख रु.) है।

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

10. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक और डायल्यूटेड

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और डायल्यूटेड) इस प्रकार हैं:

	2016-17	2015-16
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (रूपए लाख में)	₹ 71123	₹ 81701
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया	बेसिक:35767611.74 डायल्यूटेड:35767611.74	बेसिक: 35442531.17 डायल्यूटेड: 35442531.17
प्रतिशेयर आय रुपये बेसिक डायल्यूटेड	₹ 198.85 ₹ 198.85	₹ 230.52 ₹ 230.52
प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹ 1000	₹ 1000

11. भारतीय लेखांकन मानक ''आय पर करों' के अनुपालन में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी रू. 8286 लाख (गत वर्ष 16860 लाख रुपये तथा 01.04.2015 को रू. 13686 लाख) जो कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों में निवल वृद्धि दर्शाता है, को लाभ एवं हानि विवरण में बुक किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापसी योग्य है, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार चालू करों का भाग है और वापसी योग्य नहीं है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का मदवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

रुपये लाख में

क्र. सं.		31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)			
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	51988	44693	37216
ii)	प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक समायोजन	487	487	
iii)	ओसीआई को वगीकृत वास्तविक लाभ/हानि	143		
iv)	मूल्यह्रास के बावत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	6837	6837	6837
v)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	12453	13064	4460
vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	8321	6862	6570
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां(क)	**80229**	**71943**	**55083**
	आस्थगित कर देयता (ख)			
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	3572	3572	3572
ii)	मूल्यह्रास के बावत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	-472	-472	-472
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	-1	-1	-1
iv)	कर्मचारी हित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	-124	-124	-124
	कुल आस्थगित कर देयता (ख)	2975	2975	2975
	निवल आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (क)–(ख)	**77254**	**68968**	**52108**

12. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, कंपनी प्रायोजित लाभ निरपेक्ष, सेवा–टीएचडीसी, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है।

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	रूपए लाख में
01	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	166
02	शिक्षा एवं कौशल विकास	633
03	सामाजिक कल्याण	15
04	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	153
05	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	31
06	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	495
07	अन्य	42
	योग	**1535**

** टीएचडीसीआईएल के द्वारा रू. 1528 लाख के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रू. 7 लाख से 'सेवा' द्वारा किया गया व्यय।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 1528 लाख रू. (गत वर्ष 1335 लाख रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में रू. 1528 लाख (गत वर्ष 1335 लाख रूपए) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

(ग) (i) कंपनी के द्वारा वर्ष 2015–2016 के दौरान नकद रूप से तथा कंपनी द्वारा सेवा–टीएचडीसी को खर्च की प्रकृति (पूंजी या राजस्व) के साथ नकद रूप से भुगतान किए जाने वाले खर्च का विवरण निम्नानुसार है।–

(रू. लाख में)

	नकद राशि	अभी भुगतान किया जाना है	योग
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण		0	
(ii) (i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन पर	1528	0	1528

(ii) अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित प्रकटन
कंपनी ने वर्ष 2016–17 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर 434 लाख रूपये (गत वर्ष 345 लाख रू.) व्यय किए।

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को 1 लाख रू. (गत वर्ष 37 लाख रू. तथा 01.04.2015 को ''शून्य'' रूपये) की मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया।

14. कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथि गृहों/अस्थायी शिविरों और वाहनों के लिए पट्टे/किराए पर परिसर लिए हैं। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। पट्टे किराये पर लिए गए स्थानों के भुगतान के लिए राशि में 890 लाख रू. (गत वर्ष 879 लाख) शामिल है।

15.(i) कंपनी परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा समय–समय पर घोषित नियत प्रतिशत पर परिवार पेंशन सहित नियोक्ता अंशदान का भुगतान भविष्य निधि को कर रही है। बीमांकित मूल्य रू. 'शून्य'(योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो वर्तमान बाध्यता मूल्य से 208 लाख रू. (पिछले वर्ष 13 लाख रू. की कमी) अधिक है, कोई गिरावट/कमी नहीं है जिसके लिए अतिरिक्त प्रावधान (गत वर्ष 13 लाख रू.) किया जाए।

(ii) ''कर्मचारियों के हित लाभ'' के संबंध में इंड एएस–19 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2017 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित लाभ का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित लाभ'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2017 को समाप्त वित वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

सारणी –I निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	7.50%	7.75%	8.0%	8.50%	8.0%
भावी वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	8.0%	6.50%	6.0%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

रूपए लाख में
(कोष्ठक मे दिए आंकडे नकारात्मक शेष को प्रदर्शित करते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	14638 {13741}	3714 {5875}	4598 {3692}	10330 {9382}	735 {632}
ब्याज लागत	1134 {1099}	288 {470}	356 {295}	801 {751}	59 {53}
सेवा लागत	1941 {703}	307 {216}	168 {135}	573 {492}	47 {43}
लाभ का भुगतान	(574) {(701)}	(579) {(3683)}	(127) {(141)}	176 {293}	(48) {(58)}
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(137) {205}	1668 {835}	643 {616}	861) {(1)}	12 {64}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	17003 {14638}	5398 {3714}	5639 {4598}	12388 {10330}	805 {735}

सारणी –3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में
(कोष्ठक मे दर्शाए आंकडे नकारात्मक शेष को प्रदर्शित करते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	17003 {14638}	5398 {3714}	5639 {4598}	12388 {10330}	862 {805}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
गैर वित्त पोषित लैब / प्रावधान	17003 {14638}	5398 {3714}	5639 {4598}	12388 {10330}	862 {805}
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	(17003 {14638}	5398 {3714}	5639 {4598}	12388 {10330}	862 {805}

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में
(कोष्ठक मे दर्शाए आंकडे नकारात्मक शेष को प्रदर्शित करते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
सेवा लागत	1941 {703}	307 {216}	168 {135}	573 {492}	50 {47}
ब्याज लागत	1134 {1099}	288 {470}	356 {295}	801 {751}	62 {59}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	(137) {205}	1668 {835}	643 {616}	861 {(1)}	38 {12}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	3076 {1802}	2263 {1521}	1168 {1047}	2234 {1242}	217 {153}

अन्य प्रकटन

उपदान	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17003	14638	13741	11049	9611
बीमांकिक (लाभ)/हानि			2266	593	598
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(137)	(205)			
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3076	1597	3880	1917	1765

पीआरएमबी	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5639	4598	3692	2326	2027
बीमांकिक (लाभ)/हानि	643	616	1118	118	89
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	643	616	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	525	1047	1433	357	300

छुट्टी	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5398	3714	5875	4909	4266
बीमांकिक (लाभ)/हानि	1668	835	2131	938	740
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2263	1521	2876	1562	1308

अस्वस्थता अवकाश	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12388	10330	9382	4664	4594
बीमांकिक (लाभ)/हानि	861	(1)	4288	(467)	176
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2234	1242	5147	146	736

बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	862	805	735	632	654
बीमांकिक (लाभ) / हानि	38	12	64	(86)	125
बीमांकिक (लाभ) / हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	38	12			
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	112	149	118	5	211

16. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

(रूपए लाख में)

		2016-17	2015-16
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	10*	10*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानून मामलों के लिए	-	-
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	1	6
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	2	2

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है

(रूपए लाख में)

	विवरण	2016-17	2015-16
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	14	27
	परामर्श और व्यावसायिक व्यय	293	249
	प्रबंधन / प्रतिबद्धता शुल्क	125	308
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती		0
	माल का आयात	12517	8781
	अन्य (अग्रिम)		0
	सम्मेलन के लिए नामांकन		
	साफ्टवेयर की खरीद		
	अन्य		3746
	कुल	**12949**	**13111**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
	i) पूंजीगत माल	13087	8809
	ii) अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**13087**	**8809**
घ	**उपभोज्य घटकों, स्टोर्स और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
	i) आयातित (लाख रूपए में)	68	51
	(%)	14	6
	ii) देशी (लाख रूपए में)	444	749
	(%)	86	94
ड	**निर्यात का मूल्य**	**0**	**0**

18. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2016-2017	2015-2016
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1513 मे.वा.	1400 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा) सीसीईए के निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2981 मे.वा.	2868 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक सूचना (मिलियन यूनिटों में)		
	वाणिज्यिक उत्पादन		
	कुल उत्पादन	**4430.000424**	**4348.29007**
	बिक्री (गृह राज्य को नि:शुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	**3890.65028**	**3812.82617**

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है, अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

19. नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2017	31.03.2016
नकदी तथा नकदी समतुल्य	9	6707	7558
लियन के तहत बैंक शेष	10	25037	37
ओवर ड्राफ्ट शेष	21	-38724	-3677
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		-6980	3918

20. वर्ष के दौरान 8 नवंबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान धारित विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) एवं लेन–देन के विवरणों पर एमसीए अधिसूचना जीएसआर 308(ई) में यथा प्रस्तावित कंपनी के पास विनिर्दिष्ट बैंक नोट या अन्य मूल्यवर्ग के नोट की, अधिसूचना के अनुसार मूल्य वर्गवार एसबीएन एवं अन्य नोटों का विवरण निम्नवत है :

(₹)

	एसबीएन (₹)	अन्य मूल्यवर्ग नोट (₹)	कुल (₹)
08.11.2016 को हाथ में अंतिम राशि	296500.00	117475.00	413975.00
(+) अनुमत प्राप्तियां	0.00	522421.00	522421.00
(-) अनुमत भुगतान	500.00	264203.00	264703.00
(-) बैंक में जमा राशि	296000.00	84407.00	380407.00
30.12.2016 को हाथ में अंतिम राशि	0.00	291286.00	291286.00

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''विनिर्दिष्ट बैंक नोट'' शब्द का वही अर्थ है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. एसओ 3407(ई) दिनांक 8 नवंबर, 2016 में वर्णित है।

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
एम नं. 026692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन–001049सी

(आशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक: 31 अगस्त, 2017
स्थान: ऋषिकेश

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह अन्य व्यापक आय सहित तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इंड एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और लेखापरीक्षण मापदंडों और मामले, जिनको अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या इंड एएस वित्तीय विवरण गलतबयानी से मुक्त हैं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में इंड एएस वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शमिल है। चयनित प्रक्रियाएं इंड एएस वित्तीय विवरणों की गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को बनाने में लेखापरीक्षक इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, तैयार की जा सकें। लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी तरीकों से प्रचालित करने की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कंपनी में है उस पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों के द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ इंड एएस वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकरण सिद्धांतों के अनुरुप सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं :

(क) कंपनी के कार्य के संबंध में तुलनपत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2017 को ;

(ख) हानि व लाभ विवरणों और व्यापक आय सहित के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लिए; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकदी प्रवाह।

(घ) इक्विटी में बदलाव के विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव।

मामले पर बल

हम इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं–

(क) बिक्री के लेखाकरण के संबंध में इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 27.1 के साथ पठित राजस्व मान्यता पर लेखाकरण नीति सं. 13.1 के अनुसार वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के आधार पर बिक्री को मान्यता दी गई है।

(ख) प्रासंगिक देयताओं के संबंध में इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 37 के पैरा 3, जिसमें दावे/मध्यस्थतन कार्यवाही तथा कंपनी द्वारा अथवा ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा न्यायालय में दायर मामलों के परिणामों की अनिश्चितता के संबंध में उल्लेख किया गया है।

(ग) 31.03.2017 को बकाया शेष राषि की पुष्टि हमारे द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 90% शेष राशि तक प्राप्त की गई है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय भिन्न नहीं है।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा यथापेक्षित विवरण उक्त आदेशों के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में **'अनुलग्नक क'** में प्रस्तुत हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 143 की उपधारा (5) की शर्तों पर जांच वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनका अनुपालन **'अनुलग्नक–ख'** में किया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं देखी हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में बहियों की हमारी छानबीन से अब तक प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण और नकदी प्रवाह विवरण इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण का इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जो लेखा विवरणों के अनुरुप है।

(घ) हमारी राय में एक मात्र उल्लिखित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

(ड.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई. दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान जो निदेशकों की अनर्हता से संबद्ध है, कंपनी पर लागू नहीं है।

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले में हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हैं–

I. कंपनी ने इसके वित्तीय स्थिति पर इसके वित्तीय विवरण पर लंबित कानूनी अड़चनों के प्रभाव का खुलासा कर

दिया है– इंड एएस वित्तीय विवरण की टिप्पणी 37.3 को देखें।

।।. कंपनी के पास गौण संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं में कोई भी ऐसी सामग्री नहीं हैं जिसमें हानि की संभावना हो।

।।।. कंपनी के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

iv कंपनी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान अनुसूचित बैंक नोट में संपत्ति एवं लेन–देन को भारतीय लेखाकरण प्रणाली वित्तीय विवरणों में कंपनी ने अपेक्षित प्रकटन किया है। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर प्रबंधन के प्रतिनिधियों पर निर्भर करते हुए हम रिपोर्ट देते हैं कि प्रकटन कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों तथा जैसा प्रबंधन द्वारा हमारी जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किया है। कृपया नोट सं. 37.20 देखें।

पी. डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(आशीष कुमार अग्रवाल)
सदस्यता सं. 077178

स्थान : ऋषिकेश

दिनांक: 31 अगस्त, 2017

अनुलग्नक–क

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अंतर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक 'क')

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच मे विसंगति नहीं देखी गई। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर जमीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बाँध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन के नाम पर प्राप्त की गयी। टिप्पणी क्रमांक 37.6(ii) एवं (i) से विदित होता है कि स्वामित्व विलेख में 610.35 हेक्टे. फ्री होल्ड तथा 1.875 हेक्टे. लीज भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई की गयी।

ii. माल सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में भौतिक सत्यापन की बारंबारता उचित है। माल सूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तद्नुसार आदेश के पैराग्राफ–3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी आवश्यक लागत रिकार्ड बनाए रखती है। वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है।

vii. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2017 को बाकी नहीं

थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित सेवा कर जमा नहीं किए गए हैं।

वित्त वर्ष	धनराशि (रू. लाख में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2012-13 से 2014-15	14.86	सेवा कर	टीएचडीसीआईएल ने मांग के विरुद्ध न्यायाधिकरण में अपील दायर की है।

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

ix. हमारी राय में तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जिस कार्य के लिए धन जुटाया था, वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

xi. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची V प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xii. हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 117 एवं 188 के अनुरूप है तथा ऐसे लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

(xiv) प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवतनीय डिवेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3 (XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

(xv) हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया अतएव आदेश के खंड 3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(आशीष कुमार अग्रवाल)
सदस्यता सं. 077178

स्थान : ऋषिकेश

दिनांक: 31 अगस्त, 2017

अनुलग्नक–ख

टीएचडीसी इंडिया लि. के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र. सं.	निर्देश	लेख परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड के स्पष्ट स्वामित्व/लीज विलेख की अनुमति है, यदि नहीं तो कृपया फ्री होल्ड और लीज होल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए स्वामित्व/लीज विलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के परिवर्तित नाम से पूर्व फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि या तो टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के नाम से प्राप्त की गई। स्वामित्व विलेख को नए नाम में परिवर्तित कराने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है अर्थात ये फ्रीहोल्ड भूमि 610.35 हे. तथा लीज होल्ड भूमि 1.875 है. का विवरण टिप्पणी 37.6 (ii) और (i) में दिया गया है।	पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तन कराने हेतु मामला राजस्व प्राधिकारियों के पास है।	शून्य
2	कृपया ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने संबंधी कोई प्रकरण हैं। यदि हां तो उसके कारण और उसमें शामिल राशि बताएं।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि माफ करने संबंधी कोई प्रकरण नहीं है।	लागू नहीं	शून्य
3	क्या अन्य पक्ष के पास उपलब्ध माल सूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान(ों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित अभिलेख रखा जा रहा है।	हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, अन्य पक्ष के पास उपलब्ध माल सूचियों का समुचित अभिलेख रख रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई संपत्ति उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।	समुचित अभिलेख का रख–रखाव किया जा रहा है।	शून्य

कृति पी.डी. अग्रवाल एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)

सदस्यता संख्या – 077178

स्थान : ऋषिकेश

दिनांक : 31.08.2017

अनुलग्नक–ग

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एफ) में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' में संदर्भित अनुलग्नक 'ग')

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड** (कंपनी) की 31 मार्च, 2017 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ इंड एएस वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया(आईसीएआई) द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है जिसमें कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा 'आईसीएआई' द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडेंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी है। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारी वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन के जोखिम मूल्यांकन का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसंपत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और पूर्ण संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (ii) उचित आश्वासन दिया जाए कि वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन–देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय–व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथासमय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2017 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं. 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
सदस्यता संख्या – 077178

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 31.08.2017

No. MAB-III/Rep/01-98/A/cs-THDC/2017-18/Vol.-III/784

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–।।।
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-III
New Delhi

सत्यमेव जयते

दिनांक: 13/09/2017

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषय: 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूं। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न : यथोपरि

भवदीया,
ह./-
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, सी.ए.जी,. भवन एनेक्सी, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, C.A.G. Building, Annexe, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Tel.: 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके कारण इस पर या सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कुछ टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

प्रतिहस्ताक्षरित
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, नई दिल्ली लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 सितंबर, 2017

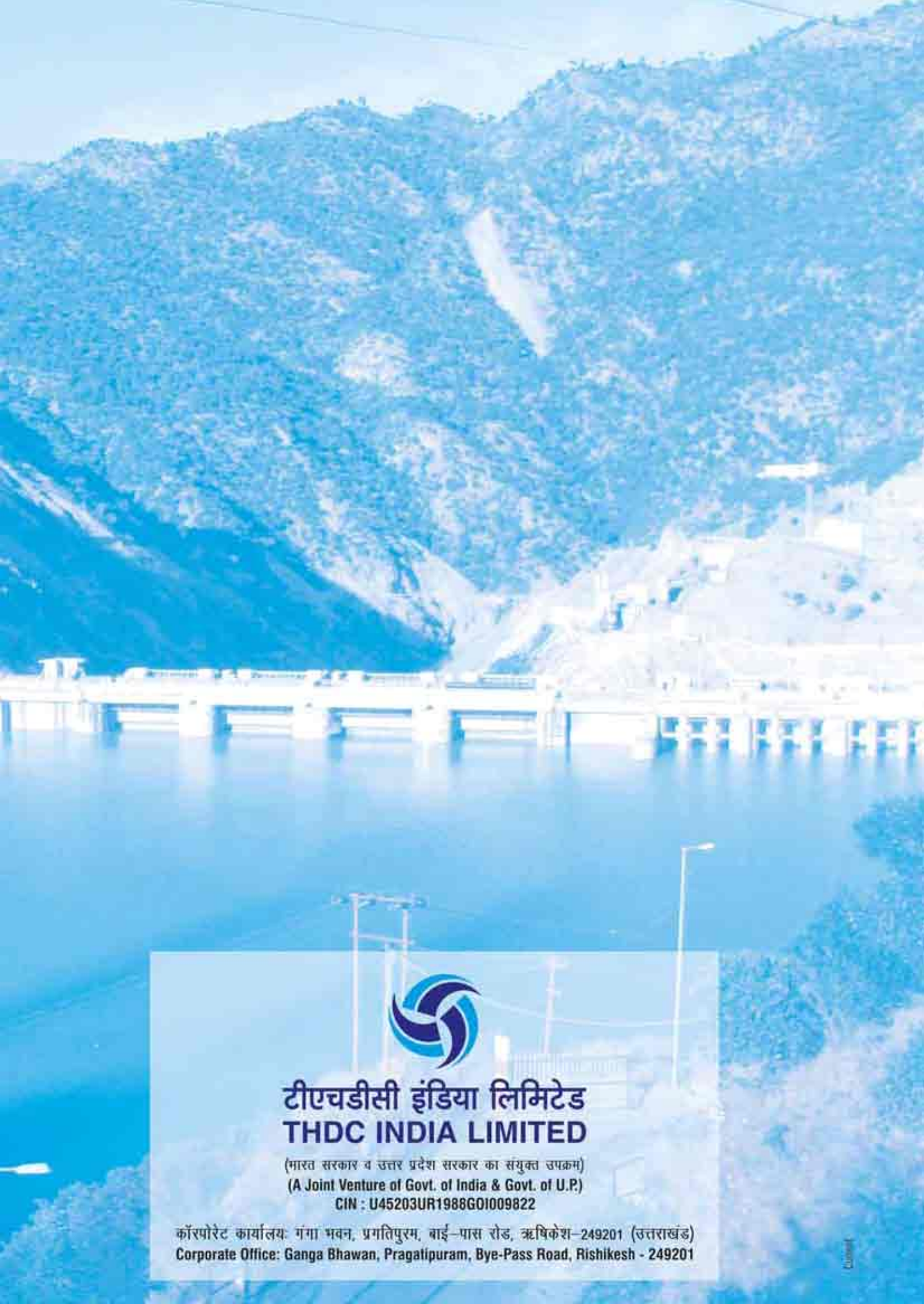

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
CIN : U45203UR1988GOI009822

कॉरपोरेट कार्यालय: गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश–249201 (उत्तराखंड)
Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bye-Pass Road, Rishikesh - 249201